शहरी फेरीवालों के व्यवसाय का वैधानिक अधिकार
राजस्थान सरकार 2007

वह व्यक्ति जो चलती फिरती दुकान लगाकर सामान विक्रय एवं सेवा प्रदान करता है, फेरी व्यवसायी की श्रेणी में आता है। राजस्थान में उसे ठेलावाला, फुटपाथी व्यवसायी, पटरी वाला, रेहड़ी वाला, हॉकर इत्यादि के नाम से जाना जाता है। राज्य सरकार, फुटपाथी व फेरी लगाकर व्यवसाय करने वाले इन व्यवसायियों की समस्याओं के प्रति पूरी तरह सजग व संवेदनशील है। इसी उद्देश्य से सरकार ने नगरीय क्षेत्रों में विभिन्न स्थानों, अवसरों, दिनों समयों के आधार पर हॉर्कस जोन बनाने का निर्णय लिया है। योजनानुसार फेरी वालों का नाममात्र शुल्क पर पंजीकरण करके इन्हें संगठित रूप से व्यवसाय करने की सुविधा प्रदान की जायेगी तथा हार्क्स के कल्याण योजनाओं को क्रियान्वयन का कार्य नगरीय स्थानीय निकायों ओर विकास प्राधिकरण आदि के माध्यम से कराया जायेगा। नये व्यक्तियों का पंजीयन करने की कार्यवाई निकाय द्वारा निरंतर प्रक्रिया के अधीन की जायेगी तथा प्रत्येक पंजीकरण का 3 वर्ष बाद नवीनीकरण किया जायेगा।

नीति के मुख्य बिन्दु

सर्वेक्षण– राज्य के समस्त स्थनीय निकायों द्वारा शहरी सीमा में रहने वाले फेरी व्यवसायियों का सवेंक्षण किया जाएगा। इस सर्वेक्षण प्रपत्र को लाईसेंस हेतु प्रार्थना पत्र भी माना जायेगा।

पंजीकरण– सर्वेक्षण के आधार पर विभिन्न व्यवसाय करने वाले लोगों का पंजीकरण किया जायेगा। प्रत्येक पंजीकरण का 3 वर्ष बाद नवीनीकरण किया जायेगा। नये–नये व्यक्तियों का पंजीयन करने की कार्यवाई निकाय द्वारा निरन्तर प्रक्रिया के अधीन की जायेगी। प्रत्येक पंजीकरण का 3 वर्ष बाद नवीनीकरण किया जायेगा।

पंजीकरण शुल्क– नगर निगम में 20 रूपये, नगर परिषद् में 15 रूपये तथ नगर पालिकाओं में 10 रूपये प्रति व्यवसायी लिया जायेगा।

पहचान पत्र/लाईसेंस– स्थानीय निकाय में पंजीकृत फेरी व्यवसायियो को नाम मात्र का शुल्क लेकर पहचान पत्र दिया जायेगा तथा प्रतिवर्ष कार्य की अनुमति हेतु इसका नवीनीकरण करना आवश्यक होगा। पहचान पत्र देने में वर्त्तमान व्यवसाय कर रहे व्यवसायियों, विधवा, परित्यक्ता, विकलांग, एस टी, एस सी, महिलाओं को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जोयगा। मौसम व समय के अनुसार ठेला व्यवसायी अपने बिक्री के सामान को बदलते रहते हैं, अतः लाईसेंस में इसको दृष्टिगत रखते हुए पहचान पत्र जारी किया जायेगा। पहचान पत्र शुल्क नगर निगम में 100/– प्रतिवर्ष, नगर परिषद् में 75/– प्रतिवर्ष, नगर पालिका द्वितीय श्रेणी में 50/– प्रतिवर्ष, नगरपालिका तृतीय श्रेणी में 40/– प्रतिवर्ष लिया जायेगा।

हॉर्क्स जोन– राज्य सरकार ने नगरीय क्षेत्रों में विभिन्न स्थानों, अवसरों, दिनों, समयों के आधार पर हॉर्क्स जोन बनाने का निर्णय लिया है। जहाँ पंजीकृत फेरी वालो का संगठित रूप से व्यवसाय करने की सुविधा प्रदान की जायेगी। हॉर्क्स जोन विकसित करने तथा हॉकर्स के कल्याण योजनाओं का क्रियान्वयन का कार्य नगरीय स्थानीय निकयों और विकास प्राधिकरण के माध्यम से कराया जायेगा।

मासिक सुविधा शुल्क– हॉर्क्स जोन में व्यवसाय करने के लिए अनुमति दिये जाने पर ऐसे हॉर्क्स से न्यूनतम दर पर मासिक शुल्क की वसूली नगरीय निकाय द्वारा की जायेगी। मासिक शुल्क की राशि का निर्धारण हॉर्क्स कल्याण समिति द्वारा किया जायेगा। जो नगर निकाय में जमा कराया जायेगा। इस राशि का उपयोग वेंडिंग क्षेत्र के रख–रखाव, विकास तथा साफ सफाई पर होगा। हॉक्रों को कार्ड दिया जायेगा जिसमें प्रतिमाह जमा की गई राशि का विवरण वसूली अधिकारी द्वारा दर्ज किया जायेगो।

हॉर्क्स मार्केट में सुविधाएँ– हॉर्क्स मार्केट में कचरे व गंदगी की सफाई, सार्वजनिक शौचालय, मूत्रालय, पेयजल, पार्किंग, सार्वजनिक प्रकाश आदि की व्यवस्था की जायेगी। इन पर होने वाले व्यय का पुर्नभरण वसूल किये गये मासिक शुल्क से कल्याण समिति द्वारा किया जायेगा।

फेरी व्यवसाय हेतु क्षेत्र निर्धारण– शहर में सर्वेक्षण करके फेरी वालो की संख्या एवं अवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त स्थान सीमाएँ निकाय कल्याण समिति द्वारा चिन्हित की जायेगी।

नो वेंडिंग जोन– यातायात के खतरों, स्थान के ऐतिहासिक, पुरातत्व, धर्मिक महत्व तथा जनहित को ध्यान में रखते हुए शहरी कल्याण समिति द्वारा किसी भी स्थान को 'नो वेंडिंग जोन' घोषित किया जा सकता है। इन स्थलों से निश्चित दूरी तक हॉक्रों को जगह नहीं दिया जायेगा। किसी क्षेत्र विशेष के लिये 'नो वेंडिंग जोन' का निर्धारण किसी निश्चित तिथि/दिन अथवा समय के आधार पर भी कल्याण समिति द्वारा तय किया जा सकेगा।

नो वेडिंग जोन' में व्यवसाय करने वाले व्यवसायियों को राजस्थान सरकार नगर पालिका अधिनियम 1959 की धारा 203 के अन्तर्गत अतिक्रमण मानकर कार्यवाही करने नगर पालिका सक्षम होगी तथा इनके परिचय पत्र व पंजीयन निरस्त किये जायेगे।

हॉक्र्स कल्याण समितियाँ– फेरी व्यवसायियों के कल्याणार्थ विभिन्न स्तर पर कल्याण समितियाँ गठित की जायेंगी, जो योजना के क्रियान्वयन पर्यवेक्षण का कार्य करेगी। ये कल्याण समितियाँ– राज्य स्तरीय कल्याण समिति, नगर निगम हॉक्र्स कल्याण समिति, नगर परिषद/पालिका हॉकर्स कल्याण समिति, वार्ड हॉक्र्स कल्याण समिति। इन समितियों को पर्याप्त अधिकार उपलब्ध कराये जोयगे। किसी भी विवाद की स्थिति में अंतिम निर्णय राज्य स्तरीय समिति का होगा।

अपराध शमन– जो कोई नियमावली में दिये गये किसी उपबन्ध का उलंघन करेगा उसे पहली बार 200/– द्वितीय बार 500/– तृतीय बार उल्लंघन पर परिचय पत्र निलम्बित कर सुनवाई के बाद निरस्त कर दिया जायेगा और एक वर्ष तक पुनः परिचय पत्र नहीं दिया जायेगा।

पंजीबद्ध हॉकरों का स्वयं सहायता समूह– हॉक्र्स क्षेत्र के आधार पर स्वयं सहायता समूह बना सकेंगे। इन स्वयं सहायता समूहों को जन साथी रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना से लाभान्वित किया जायेगा। समूह के सदस्यों को व्यवसाय संचालन के लिए ऋण अथवा अनुदान प्राप्त करने के लिए अधिकारी नगर निकाय द्वारा जानकारी व सहयोग दिया जायेगा।

हॉक्र्स का सह बीमा– शहरी कल्याण समिति से पंजीकृत हॉकरों के लिए भारतीय बीमा निगम से समन्वय कर समूह बीमा योजना से लाभान्वित करवाने की कार्यवाही की जायेगी और यदि हितग्राही किसी अन्य योजना के तहत बीमित हो तब भी इस योजना के तहत ऐसे व्यक्तियों का समूह बीमा योजना में सम्मलित किया जा सकेगा। समूह बीमा योजना हेतु हॉकर्स समिति सहयोग करेगी तथा नगर पालिका अधिकारी नोडल अधिकारी होगा।

नीति के विशेष आकर्षण

नई विकास योजनाओं में 2 से 2.5 प्रतिशत तक के क्षेत्र स्ट्रीट वेण्डर्स हेतु अरक्षित किया जायेगा।
योजना तैयार करते समय शहरी कल्याण समिति की राय भी ली जायेगी।

फेरी टोकरीवालो का राष्ट्रीय गठजोड़ (नासवी)
सुदामा भवन, बोरिंग रोड पटना– 800001
फोन/फैक्सः– 0612– 2570705, 2577589
ईमेलः– www.nasvinet@hotmail.com
बेवसाइटः– www.nasvinet.org